न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

पीठासीन अधिकारी— डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस

वाद संख्या — 230/2012
किस्म मुकदमा— दावा
तारीख निर्णय — 24.04.2018

1. इन्दो पत्नि स्व. श्री दलवीर सिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
2. टीकेश्वर पुत्र स्व. श्री दलवीर सिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
3. मोनेश्वर सिंह पुत्र स्व. श्री दलवीर सिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
4. रनवीर सिंह पुत्र स्व. श्री दलवीर सिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
5. हरनाम सिंह (मृतक) जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

5/1 राजीव सिंह पुत्र स्व. श्री हरनाम सिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

6. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री छत्तर सिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा कलैक्टर साहब भरतपुर
2. तहसीलदार साहब नदबई जिला भरतपुर
3. सोमेश्वरसिंह पुत्र दलवीरसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर

— प्रतिवादीगण

उपस्थितः— 1. श्री फलसिंह सीनसीनवार एडवोकेट
2श्रीपैरोकार सरकार मा0 तहसीलदार नदबई

<u>निर्णय</u>

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 562/0.75, 563/0.75 स्थित ग्राम बीलौठ तहसील नदबई के वादियां सं.1, 1/10 हिस्सा एवं वादीगण सं. 2 व 3 एवं प्रतिवादी औपचारिक सं. 3 संभाग प्रत्येक 2/5 व वादी सं. 4 से 6 सम्भाग प्रत्येक 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को निर्धारित राजस्व अदा करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। भू प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बरान से नये नम्बरान को निम्न प्रकार निर्मित किया है –

वर्तमान	गत संवत (2028)	गत
562 / 0.75	408 / 2–19	388 मिन / 4–12
563 / 0.75	408 / 899 / 2–19	388 मिन / 4–12

प्रतिलिपि हाल गत जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल सन् 2001 से 2021 तक एवं संवत् 2028 पेश है। गत खसरा नं. 388 / 9.04 राज. जमीनदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के समय यानी दिनांक 15.11.1959 को वादियां सं. 1 से 3 व तरतीवी प्रतिवादी सं. 3 के पति / पिता स्व. श्री दलवीर सिंह एवं वादीगण सं. 4 से 6 के पिता स्व. छत्तर सिंह को मिलकीयत (शामलात देह) एवं खुदकाश्त में अंकित होने के कारण उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 5(4) एवं 29 (2) के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं जिन्हें उनके मरणोपरान्त विरासत में वादीगण एवं औपचारिक प्रतिवादी सं. 3 ने नियमानुसार उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की गलती से स्व. श्री छत्तरसिंह एवं स्व. श्री दलवीर सिंह को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया है जबकि उन्हें कानूनन खातेदारी के अधिकार प्राप्त रहे थे। जिन्हें वादीगण एवं प्रतिवादीगण औपचारिक सं. 3 के नियमानुसार उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। इस प्रकार विवादित आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 तरतीवी अपने प्राप्त हिस्सों के अनुसार खातेदार काश्तकार काबिज हैं उन्हें गैर खातेदार राजस्व अभिलेख में गलत दर्ज किया हुआ है।

गैर खातेदार के गलत इन्द्राज वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 आपै. के नाम होने से प्रतिवादीगण असल के अधिकारीगण वादीगण एवं प्रतिवादी अपने खातेदारी अधिकार मानने से इन्कार हो रहे हैं। वादीगण ने अभी दिनांक 07.11.2012 को प्रतिवादी असल के अधिकारियों से अपने को गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदार दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होंने कतई इंकार कर दिया है इसलिये न्यायालय श्रीमान् से वादीगण को यह वाद घोषणा कराने के अधिकारी है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने आराजी के खातेदार काश्तकार काबिज है उन्हें राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार गलत दर्ज कर रखा है वह खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी हैं। वाद के लिये कारण दिनांक 07.11.2012 को प्रतिवादीगण मूल द्वारा विवादित आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने के हक में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने से इंकार करने पर स्थान ग्राम बीलौठ तहसील नदबई में पैदा हुआ है और दावा करने की आवश्यकता पेश आयी है। प्रतिवादीगण मूल के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिये उन्हें कोई नोटिस धारा 80 सीपीसी देने की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में प्रार्थना कि विवादित आराजी वादीगण एवं औपचारिक प्रतिवादी स. 3 इसी खण्ड स. 1 में वर्णित हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार काबिज है उन्हे राजस्व अभिलेख में गैर खातेदर गलत अंकित कर रखा है। वह अपने को खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की और से पैरोकार सरकार उपथित। प्रति 2 ,3 तामील बावजूद अनुपस्थित । जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 ओर से जवाब दावा पेश किया गया। जबाब दावा एवं वाद के अभिवचनो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी स. 1 आया वदी राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की गलती से खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया है। जबकि उन्हे कानून खातेदारी अधिकारा प्राप्त रहे है। – जिम्मे वादीगण

तनकी स. 2 आया वादी प्रतिवादीगण असल के अधिकारीगण वादीगण व प्रतिवादीगण औपचारिक की खातेदारी अधिकार इन्कार कर रहे है। : जिम्मे वादीगण

तनकी स. 3 आया वादी वादकारण दिनांक 7.11.12 को प्रतिवादीगण मूल द्वारा विवादित आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण औपचारिक के हक में गैर खातेदार से खातेदारी दर्ज करने से इन्कार करने से दावा लाने का वाद पैदा हुआ

– जिम्मे वादीगण

तनकी स. 4 आया प्रतिवादी आराजी मुदाभिया कटोडियन भूमि है जिस पर वादीगण के पूवर्ज पटओदरा की हैसियत से काबिज थे। व वर्तमान में गैर खातेदार दर्ज है। तथा वादीगण को खातेदारी राज. सरकार के प्रावधान के अनुसार ही दी जा सकती है। –जिम्मे प्रति.

तनकी स. 5 आया प्रतिवादी वादीगण द्वारा कर्मचारियों से खातेदारी अंकन करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है इसलिए बिना कॉज ऑफएक्सनके वादप. काबिल खारिजी के है। – जिम्मे प्रति.

तनकी स. 6 आया प्रतिवादी वादी द्वारा राज. सरकार व कर्मचारियें के विरूद्ध धारा 80 जा.दी. के तहत कोई नोटिस नही दिया गया। काबिल खारिजी के है।

– जिम्मे प्रति

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी संवत् 2067–70 वाके ग्राम बीलौठ Exp 1, नकल जमाबंदी संवत् 2017–20 वाके ग्राम बीलौठ, Exp 2, नकल जमाबंदी संवत् 2021 से 24 वाके ग्राम बीलौठ Exp 3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2014–17 वाके ग्राम बीलौठ Exp 4, नकल मिलान क्षेत्रफल भू. प्रबंधक विभाग संवत् 2001–2021 तक Exp 5, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 भू प्रबंधक विभाग Exp 6, पेश की गईं एवं मौखिक साक्ष्य बयान के रूप में मोनेश्वर सिंह PW 1, रणवीर सिंह PW 2, के बयान पेश किये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2013 वाके ग्राम बीलौठ पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में कोई भी बयान पेश नहीं किये गये।

उभयपक्षकारान के वकीलों की बहस सुनी गई तथा पैरोकार सरकार द्वारा लिखित बहस की गई जो शामिल पत्रावली की गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया निर्णय तनकीवार इस प्रकार है –

तनकी सं. 1 उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत् 2067–70 जिसमें वादीगण की गैर खातदारी के इन्द्राज एवं उसका अंकन हो रहा है। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060पेश किया है जिसमें हाल खसरा नं. 562, 563, क्रमशः 408–408/499 से बने हैं तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 खसरा नं. 408, 408/899 साबिक खसरा नं.388 मिन से बने हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2017 के खसरा नं. 388 पर छत्तर सिंह व दलवीर सिंह पिसरान् मोहर सिंह कौम फौजदार पट्टेदार अंकित है तथा नकल जमाबंदी संवत् 2021 के अनुसार उनकी गैर खातेदारी का अंकन है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2014–16 में संवत् 2015 में छत्तर सिंह व दलवीर सिंह का काश्त का इन्द्राज है परन्तु वादीगण संवत् 2012 की जमाबंदी पेश नहीं की है जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेजात् है। तथा इसी के आधार पर वादीगण की खातेदारी की जा सकती है।इसके अलावा वादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं जवाब में प्रतिवादी पैरोकार सरकार की तरफ से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिखित बहस पेश की गई है उसमें दर्शित किया गया है कि संवत् 2017 की जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज उक्त भूमि पर कस्टोडियन के तहत पट्टेदार दर्ज हैं तथा वर्तमान में गैर खातेदारी का अंकन है तथा प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने यह भी बतलाया है कि इस प्रकार की भूमि राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप 10) पुर्नवास विभाग जयपुर दिनांक 30.03.2012 नियमानुसार शुल्क जमा कराई जाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क से हम सहमत हैं। इसलिये वादीगण तनकी सं. 1 को सिद्ध करने में बिल्कुल असफल रहा है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

तनकी सं. 2 व 3 :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह तनकी सिद्ध होती हो। वादी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र तहसील नदबई में पेश किया है और उस पर तहसीलदार नदबई द्वारा इंकार किया गया हो। वादीगण द्वारा दावा पेश करने से पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत राजस्थान सरकार को नोटिस भी नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार की तरफ से इंकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वादीगण द्वारा उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध और प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4 :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण की नकल जमाबंदी संवत् 2017 के अनुसार वादीगण का विवादित आराजी पर पट्टेदार का अंकन है। इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त आराजी कस्टोडियन भूमि है तथा उसकी रकम जमा कराने पर नियमानुसार वादीगण को खातेदारी की जा सकती है। यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष तथा वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 5 — इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादीगण द्वारा कोई प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर खातेदारी का अंकन करने हेतु प्रतिवादी के पास पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने का तथ्य वादीगण सिद्ध नहीं कर सका। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 6 — उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को था। वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार के खिलाफ दावा पेश किया है से पूर्व धारा 80 (2) के जाब्ता दीवानी के तहत वादी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर इस न्यायालय ने दिनांक 20.11.2012 को वादीगण को दावा पेश करने की स्वीकृति पेश कर दी थी। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकी वार निर्णय से हम दावा वादीगण खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादीगण सिद्ध करने में असफल होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ.राजेश गोयल)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official